न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–19 / 2021

वादी	बनाम	प्रतिवादी
शेर मोहम्मद पुत्र हिन्दाल खां कौम मुसलमान निवासी बड़नामा तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर		1.घूमेंखां पुत्र हिन्दाल खां 2.आसीन खां पुत्र रहमान खां 3.लाली बेवा रहमान खां 4.खम्मे खां पुत्र फरीद खां 5.बच्चे खां पुत्र फरीद खां कौम मुसलमान निवासी बड़नामा तहसील पचपदरा 6.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–10.1.2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा दुर्गापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 420 रकबा 95–00 बीधा भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 05.8.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को [illegible] पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन [illegible] हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अ[illegible] मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक [illegible]मिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:57:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बागावास गोल पचपदरा की खेत खसरा संख्या 420 रकबा 95–00 बीधा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म भूमि	लगान	बरंग
1	शेर मोहम्मद पुत्र हिन्दाल खां जाति मुसलमान सा. बड़नावा खातेदार	दुर्गापुरा	420	2.5657	बा.सोयम	1.90	नक्शे में दर्शित अनुसार
		योग	1	**2.5657**	**बा.सोयम**	**1.90**	–
2	घूमेंखां पुत्र हिन्दाल खां जाति मुसलमान सा. बड़नावा खातेदार	दुर्गापुरा	420	2.5657	बा.सोयम	1.90	नक्शे में दर्शित अनुसार
		योग	1	**2.5657**	**बा.सोयम**	**1.90**	–
3	आसीन खां पुत्र रहमान खां हिस्सा 1/2 लाली पत्नि रहमान खां हिस्सा 1/2 जाति मुसलमान सा. बड़नावा खातेदार	दुर्गापुरा	420	2.5656	बा.सोयम	1.89	नक्शे में दर्शित अनुसार
		योग	1	**2.5656**	**बा.सोयम**	**1.89**	–
4	खमे खां पुत्र फरीद खां हिस्सा 1/2 बच्चू खां पुत्र फरीदखां 1/2 हिस्सा जाति मुसलमान सा. बड़नावा खातेदार	दुर्गापूरा	420	7.6972	बा.सोयम	5.70	नक्शे में दर्शित अनुसार
		योग	1	**7.6972**	**बा.सोयम**	**5.70**	——

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:57:41 IST
Reason: SelfAttested

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ. बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ. बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

अनवान

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
शेर मोहम्मद पुत्र हिन्दाल खां	1.घूमेंखां पुत्र हिन्दाल खां
कौम मुसलमान	2.आसीन खां पुत्र रहमान खां
निवासी बड़नामा तहसील पचपदरा	3.लाली बेवा रहमान खां
व जिला बाड़मेर	4.खम्मे खां पुत्र फरीद खां
	5.बच्चे खां पुत्र फरीद खां कौम मुसलमान
	निवासी बड़नामा तहसील पचपदरा
	6.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार
	पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः—53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :19/2021

निर्णय दिनांक :—10.1.2023

वादी की ओर से श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 03 की ओर से श्री पंकज सांखला अधिवक्ता उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 10.1.2023 को श्री विवेक व्यास (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**—वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 10.1.2023 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10.1.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर [illegible]ई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:57:41 IST
Reason: SelfAttested

(विवेक व्या[illegible])
सहायक कल[illegible]
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा